उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 125/2020/791/35-1-2020-2/1(86)/2014
लखनऊ: दिनांक: **24** दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड का गठन शासनादेश संख्या-40/2015/1261/35-1-2015-2/1(86)/2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया है। उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(1) उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड का प्रशासनिक विभाग नियोजन विभाग के स्थान पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग किया जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त, सदस्य, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन तथा सदस्य संयोजक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन होंगे।

(2) उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा अब तक गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों तथा उनसे सम्बन्धित कार्य उ0प्र0 कृषक उत्पादन संगठन नीति-2020 के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले एस0पी0एम0यू0 कृषि विभाग के अधीन किये जाते हैं।

2. कृपया उक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कुमार कमलेश
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 125/2020/791(1)/35-1-2020-तददिनांक

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश सहित कि लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग, अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।